[Shri Munshi Ram]

सरकार की नीयत इसलिए साफ नहीं है क्योंकि जितनी भी कोआपरेटिव और सहकारिता की चीनी मिलें हैं, उनका भी जो मूल्य प्रदेश सरकार ने घोषित किया है, वह मूल्य भी गन्ना उत्पादक किसानों को नहीं दिलाया। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप केन्द्र सरकार से क्या चाहते हैं? आप यह बताइए। आपकी क्या मांग है? आप यह बताएं।

...*(व्यवधान)*

श्री मुंशी राम: सर, मेरी एक बात सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार की नीयत साफ नहीं है कि गन्ना उत्पादक किसानों के लिए उनके मूल्य का निर्धारण किया जाए। इसके साथ-साथ मुरादाबाद मंडल की गन्ना रिजर्वेशन की मीटिंग होती है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप केन्द्र सरकार से क्या चाहते हैं? आप यह बताएं।

...*(व्यवधान)*

श्री मुंशी राम: उपाध्यक्ष जी, मैं इस बात की मांग करता हूं कि प्रदेश सरकार ने जो मूल्य निर्धारित किया है, उस मूल्य निर्धारण करने में उन्होंने पैरवी अदालतों में हाई कोर्ट में सही नहीं करने से भारत सरकार और प्रदेश सरकार उच्चतम न्यायालय जाए और जो उच्च न्यायालय से आदेश हुए हैं, उनको निरस्त कराएं। वर्ष 2007-08 और वर्ष 2008-09 में जो मूल्य सरकार ने निर्धारित किया है, डा. स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार वह मूल्य कम से कम 160 रुपये और 165 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों को दिया जाना चाहिए, यही मेरी भारत सरकार से मांग है। धन्यवाद।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार के संज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लाना चाहता हूं। मेरे लोक सभा क्षेत्र में जालौन में केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत खेत का पानी खेत में रहे, इसके तहत तालाब खोदे गये थे। उन तालाबों के मानक अनुसार वे दस फुट गहरे, बीस फुट चौड़े और तीस फुट लम्बाई में खोदे गये थे। उसकी खुदाई के बाद पोलीथिन बिछानी थी, उसके बाद बैरिकेटिंग करनी थी, फिर वृक्षारोपण करना था। जब तालाब की खुदाई की जानी थी, तो छोटे-छोटे किसान जिनके पास एक या दो एकड़ जमीन थी, वह कृषि योग्य नहीं रही है। किसान उमसें न तो फसल बो सक़ता है और न वृक्षारोपण ही कर सकता है और न ही अन्य किसी योजना के द्वारा अपनी फसल पैदा कर सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, किसान के खेत के आधार पर उसकी जीविका चलती थी लेकिन आज वह भूखों मरने की स्थिति में पहुंच गया है। इस कारण मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कठोन ब्लाक के सैकड़ों किसान आमरण अनशन पर बैठे हैं। मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि जिन तालाबों की मानक के आधार पर खुदाई नहीं हुई है, उस मामले की जांच कराई जाये। जिस समय यह योजना लागू की गई थी, उस योजना के अनुसार उन्हें जो सामान मिलना चाहिए था, पौलिथीन मिलना चाहिए था, बैरिकेटिंग तार मिलना चाहिए था, वृक्षारोपण किया जाना चाहिए था जिससे वह अपनी जीविका चला सकता था, उसे ये चीजें प्राप्त नहीं हुई हैं।

अत: मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि किसानों को उसका मुआवजा दिया जाये और जिन किसानों की थोड़ी जमीन चली गई है, वहां देश के मानक के अनुसार वहां तालाब खुदवाये जायें या उसकी भरपाई की जाये ताकि वह अपने परिवार का भरण-पोषण कर सके।

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान देश के 15 करोड़ डी-नोटिफाइड डोमेन ट्राइब्स जो विमुक्त और घुमन्तरु समाज कहलाते हैं, की ओर दिलाना चाहता हूं। भारत सरकार ने इन लोगों के लिये एक कमीशन बालकृष्ण आयोग बनाया था जो नेशनल डिनोटिफाइड डोमेन कमीशन कहलाया। इस कमीशन की रिपोर्ट 2 जुलाई को सरकार के पास आ गई है। इस रिपोर्ट के बाद कुछ ऐसे तथ्य तथा ऐसी बातें सामने आयी हैं कि ऐसे 6 करोड़ लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जिनके पास मकान नहीं है और वे शिक्षा से वंचित हैं। इन लोगों की जिन्दगी एस.सी.एस.टी. लोगों से भी बदतर हो रही है। यह सोचने की बात है कि 1949-50 में एंगार कमेटी इनके लिये बनायी गई थी। उन लोगों के लिए बाद में लोकूर कमेटी आयी। उसके बाद जस्टिस वैंकटचलैया की अध्यक्षता में कांस्टीट्यूशन रिव्यु कमेटी बनायी गई। उसने रिव्यु किया और रिपोर्ट में कहा गया कि इस विमुक्त समाज के लिए जितनी भी रिपोर्ट आई है, सरकार ने उनकी अनदेखी की है। आज इस समाज में डर पैदा हो गया है कि जो 15 करोड़ लोग हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी डिमांड क्या है और आप सैंट्रल गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं?